डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2019/HQ/Admin/RTI-452

New Delhi: 16.07.2019

Sh. Anil Kumar Tyagi
A-11, Lohia Nagar
Ghaziabad-201001

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application date 19.06.19 received on 24.06.19.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skpanda@dfcc.co.in
9717636811

DA: 01 sheet.

पत्रांक:- एम0टा0सा0/इ0एन0/आर0टी0आई0/भाग-6 दिनांक 12.07.2019

डिप्टी जी0एम0/एडमिन(पी0आई0ओ0),
कॉरपोरेट ऑफिस, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषय:- अनिल कुमार त्यागी निवासी-ए-11, लोहियानगर गाजियाबाद द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-2005 धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2019

सन्दर्भ:- (1) निगम मुख्यालय का पत्र 2019/एच क्यू0/एडमिन/आर0टी0आई0-452 दिनांक 25.06.2019
(2) आवेदनकर्ता अनिल कुमार त्यागी, ए-11, लोहिया नगर गाजियाबाद-201001 द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2017

आवेदनकर्ता द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना निम्नवत है:

1. इस प्रस्तर में चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि ग्राम-नगौला अमीपुर तहसील-मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के खसरा संख्या-6 में डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना हेतु अभिनिर्णय दिनांक 26.02.2018 (द्वितीय चरण) अन्तर्गत अधिग्रहित की गयी भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने हेतु अनिल कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी ए-11 लोहियानगर गाजियाबाद की कोई पत्रावली सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), संयुक्त संगठन गाजियाबाद कार्यालय द्वारा इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध नही करायी गयी है। यदि आवेदनकर्ता द्वारा द्वितीय चरण के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णय के तहत प्रतिकर भुगतान हेतु पत्रावली सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दी गयी है तो लेखपाल से शिनाख्त कराने के उपरान्त इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करायें।
2. इस प्रस्तर के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र में पिता का नाम अंकित न होने के कारण तथा खसरा नम्बर-6 की खतौनी में अनिल कुमार पुत्र रामनिवास एवं अनिल कुमार पुत्र रमेश चन्द दोनों अलग-अलग संक्रमणीय भूमि धर के रूप में अंकित होने के कारण अनिल कुमार पुत्र रामनिवास द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने का उल्लेख करते हुये उत्तर भेजा गया था। वास्तव में अनिल कुमार पुत्र रमेश चन्द को ग्राम नगौला अमीपुर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या-6 में से अभिनिर्णय दिनांक 26.02.2018 अन्तर्गत अधिग्रधित भूमि के प्रतिकर का भुगतान नही किया गया है।
3. ग्राम नगौला अमीपुर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में से डी0एफ0सी0 परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के भू-स्वामियों में से परियोजना प्रभावित परिवारों की संकलित सूची को मैसर्स क्रैडल द्वारा ग्राम पंचायत के सूचना पट पर अन्तिम रूप से प्रदर्शित किया जा चुका है। उक्त सूचना सक्षम प्राधिकारी (अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद) के अनुमोदन उपरान्त ही उपलब्ध करायी जा सकती है।
4. इस प्रस्तर में चाही गयी सूचना का प्रस्तर-3 में विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

उप परियोजना प्रबन्धक/जन सूचना अधिकारी.
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,मेरठ।